

पेंशनर अपनी शिकायत हेतु कृपया
टोल फ्री नम्बर **1800-233-5283**
पर सुबह 10:00 बजे से शाम 05:30 बजे
तक सोमवार से शुक्रवार (अवकाश दिवस
को छोड़कर) सम्पर्क कर सकते हैं ।

For Pensioners Complaint,
Please Contact
Toll Free Number
1800-233-5283

From Monday to Friday
10:00 AM. To 05:30 PM.
(Except Holidays)

Team CCA MP Circle Bhopal

-GPF/Pension Complaint Proforma-

| | | | |
|----|---|---|--|
| 1 | Full Name of Complainant | : | |
| 2 | Date of Superannuation/ Voluntary Retirement * (In case of pensioner) | : | |
| 3 | Unit From which retired* | : | |
| 4 | PPO Number No./ GPF Account No.* | : | |
| 5 | CDA/IDA | : | |
| 6 | Telephone No with STD Code* | : | |
| 7 | Mobile No. | : | |
| 8 | E-mail ID | : | |
| 9 | Postal Address* | : | |
| 10 | Subject of complaint* | : | |
| 11 | Complaint Details | : | |
| | | | |

Note:

- Fill up the proforma carefully. Starred(*) fields are mandatory and need to be filled. This office will not respond to complaints without mandatory information.
- Please ensure your status regarding pension on our website: <http://www.ccamp.nic.in/Pension-gpf1.htm> If your name does not exist in the list then you can use this proforma.
- Send the above filled up proforma to O/o Controller Of Communication Accounts, M.P. Telecom Circle, "Door Sanchar Bhawan", First Floor, Hoshangabad Road Bhopal. or E-mail it to :- **ccabpl-mp@nic.in**.

—जी.पी.एफ. एवं पेंशन प्रकरणों से संबंधित शिकायत प्रपत्र प्रारूप—

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1 | शिकायतकर्ता का पूरा नाम | : | |
| 2 | सुपरएन्युएशन / स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का दिनांक (केवल पेंशनरों के लिये)* | : | |
| 3 | इकाई का नाम जहां से सेवानिवृत्त हुए हैं ।* | : | |
| 4 | पी.पी.ओ. / जी.पी.एफ खाता क्रमांक* | : | |
| 5 | सी.डी.ए / आई.डी.ए. | : | |
| 6 | दूरभाष (एस.टी.डी. कोड सहित)* | : | |
| 7 | मोबाईल नंबर | : | |
| 8 | ई-मेल आई.डी. | : | |
| 9 | निवास का पता* | : | |
| 10 | शिकायत का विषय * | : | |
| 11 | शिकायत का विवरण | : | |
| | | | |

टीपः

- कृपया शिकायत प्रपत्र को सावधानी पूर्वक भरें । जिन स्थानों पर * का चिन्ह अंकित है उन स्थानों की जानकारी भरना अनिवार्य है अन्यथा बिना उस जानकारी के प्राप्त शिकायतों के संबंध में इस कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी ।
- इस कार्यालय की वेबसाईट <http://www.ccamp.nic.in/Pension-gpf1.htm> पर प्रतिमाह पेंशन एवं जी.पी.एफ. प्रकरणों के संबंध में सूची जारी की जाती है । यह सुनिश्चित कर लें कि आपका नाम उस सूची में नहीं है उसके बाद ही इस शिकायत प्रारूप का उपायोग करें ।
- शिकायत प्रारूप को हमारे कार्यालय के पते : कार्यालय नियंत्रक संचार लेखा, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रथम तल, दूरसंचार भवन, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462015, पर प्रेषित कर सकते हैं अथवा हमारे कार्यालय के ई-मेल ccabpl-mp@nic.in पर भी प्रेषित कर सकते हैं ।